

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸಿ.ಎನ್. ಮಂಜೇಗೌಡ ಇವರು ನಿಯಮ 72 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 68 ಕೆ. ಮಾನ್ಯ ಇಂಧನ ಸಚಿವರ ಉತ್ತರ

ವಿಷಯ: ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮೇಲೆ ಅನಧಿಕೃತ ಓವರ್‌ಹಾಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಕೇಬಲ್ ಡಿಶ್ ಕೇಬಲ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಕೇಬಲ್‌ಗಳನ್ನು ಎಳೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಗಾಳಿ ಮಳೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳು ಕೆ.ಇ.ಬಿ ಲೈನ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯುಂಟಾಗುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅವಗಡಗಳುಂಟಾಗಿ ನಾಗರಿಕರ ಜೀವಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮೇಲೆ ಅತಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಬಲ್ ಎಳೆದು ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮಾಲೀಕರುಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ನೀಡಿ ದೌರ್ಜನ್ಯವೆಸಗುವ ಕೇಬಲ್ ಮಾಫಿಯಾಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ನಿಷೇದಿಸಿ, ನಿಯಮದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೇಬಲ್ ಎಳೆಯುವವರ ಲೈಸೆನ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನ್ಯ ಇಂಧನ ಸಚಿವರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು.

* * * * *

ಉತ್ತರ:- ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಓವರ್‌ಹಾಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಕೇಬಲ್, ಡಿಶ್ ಕೇಬಲ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಕೇಬಲ್‌ಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳ / ಬೀದಿ ಪೀಠೋಪಕರಣ (Street Furnish/Street Electric Poles) ಮೇಲೆ ಎಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂವಹನ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ (Ministry of Tele Communication) ದಿನಾಂಕ 17.08.2022 ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (ಅನುಬಂಧ-1).

ಖಾಸಗಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮೇಲೆ ಅತಿಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಬಲ್ ಎಳೆದು ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮಾಲೀಕರುಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಉಪವಿಭಾಗ/ಶಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ಡಿಶ್ ಕೇಬಲ್ ಗಳ ಮರು-ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿ, ಕ.ವಿ.ಪ್ರ.ನಿ.ನಿ ಸುತ್ತೋಲೆ KPTCL/B31/SEE/IT&MIS/56/2003-04 Dt: 21.07.2004ರ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. (ಅನುಬಂಧ-2)

ಪ್ರಮುಖ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳು :-

- 1) Communication / TV cables should not run above the power line and shall be supported by messenger wire by employing Reel insulators at 0.50 mtrs. Interval as done for overhead service mains.
- 2) Cables tapping should not be done at pole points. Tapping should be at least 2 Mtrs. Away from the pole.
- 3) Cable should not pass through / Connected to Transformer structures.
- 4) Minimum ground clearance shall be 5.8 Meter across the road and 3.05 meters along the road
- 5) Clearence between power line and cable shall be 1.8 meters run under 11 kv line and 1.2 Meters run under LT line.

ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಯ್ದೆ 2023 ರ ಪ್ರಕಾರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಆಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೃತ್ತ ರವರ ಅನುಮೋದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೇಬಲ್ ಎಳೆಯಲು ಪರವಾನಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.


OFC/ Dish Cable/ Data Cable ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಸಂವಹನ ಕೇಬಲ್‌ಗಳನ್ನು ಎಳೆಯುವ ಸಂಬಂಧ, ಬೆವಿಕಂ ನಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚನೆಮಾಡಿದ್ದು, ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಯನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂವಹನ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು/ ಟೆಲಿಕಾಂ ಜಾಲ ಅಳವಡಿಸುವ ಕುರಿತು, ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ, ಎಲ್ಲಾ ಸುರಕ್ಷತೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. (ಅನುಬಂಧ-3).

ಅನುಮತಿ ಪಡೆದ ಟೆಲಿಕಾಂ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಅನಧಿಕೃತ ಸಂವಹನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಯಾವುದೇ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದೆ ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಅನುಸಾರ ನಗರ/ಪಟ್ಟಣಗಳ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ OFC/ Dish Cable/ Data Cable ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಸಂವಹನ ಕೇಬಲ್‌ಗಳನ್ನು ಎಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ನೋಟೀಸ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು ಅಂತವರ ವಿರುದ್ಧ ಪೋಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಬೆವಿಕಂನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಎಳೆಯಲಾಗಿದ್ದ ಸುಮಾರು 958 ಕಿ.ಮೀ OFC/Dish Cable/ Data cables ಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆವಿಕಂ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಎಳೆದಿರುವ ಓಎಫ್‌ಸಿ ಡಾಟಾ ಕೇಬಲ್, ಡಿಶ್ ಕೇಬಲ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಕೇಬಲ್ ಗಳು ಗಾಳಿ ಮಳೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಲೈನ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರುವ, ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ಅವಘಡಗಳುಂಟಾಗಿ ನಾಗರಿಕರ ಜೀವಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇದುವರೆಗೂ ದಾಖಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಖಾಸಗಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮೇಲೆ ಅತಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಬಲ್ ಎಳೆದು ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮಾಲೀಕರುಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ದೌರ್ಜನ್ಯವೆಸಗುವ ಕೇಬಲ್ ಮಾಫಿಯಾಗಳ ವಿಷಯ ಹಾಗೂ ಕೇಬಲ್ ಎಳೆಯುವವರ ಲೈಸೆನ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಸಂಖ್ಯೆ: ಎನರ್ಜಿ 182 ಇಬಿಎಸ್ 2024


(ಕೆ.ಜಿ.ಜಾರ್ಜ್)
ಇಂಧನ ಸಚಿವರು

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II, खण्ड 3—उप-खण्ड (1)
PART II, Section 3—Sub-section (1)
अधिकार पत्र प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

म. 561।

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 18, 2022/श्रावण 27, 1944

No. 561।

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 18, 2022-SHRAVANA 27, 1944

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2022

सा.का.नि. 635(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम 1885 (1885 का 13) की धारा 10, 12 और 15 के साथ पठित धारा 7 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खण्ड (ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय तार मार्ग के अधिकार (संशोधन) नियम, 2022 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के प्रारम्भिक पैरा में कोष्ठकों और शब्दों "(ऑप्टिकल फाइबर)" और "(मोबाइल टावर और तारयंत्र लाइन)" का लोप किया जाएगा।
- उक्त नियमों के नियम 2 के उप-नियम (1) के खण्ड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ज) "अनुसूची" से इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है।"

- उक्त नियमों के नियम 4 के उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा अर्थात्:-

निम्नलिखित

अनुसूची के भाग-III में विनिर्दिष्ट रकम से अधिक नहीं होगा।

उप-नियम (2) के खण्ड (क) में -

"जो विनिर्दिष्ट किया जाए भी है लेकिन इन तक सीमित न रहते हुए, अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के अध्याधीन" शब्दों के स्थान पर "जो विनिर्दिष्ट रकम से अधिक" शब्द रखे जाएंगे।

(ख) उप-नियम (2) के खण्ड (क) में -

(i) "जो विनिर्दिष्ट किया जाए भी है लेकिन इन तक सीमित न रहते हुए, अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के अध्याधीन" शब्दों के स्थान पर "जो विनिर्दिष्ट रकम से अधिक" शब्द रखे जाएंगे।

(ii) निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु जहां भूमिगत तारयंत्र लाइन की स्थापना के लिए श्रेणिज दिशान्मक खुदाई प्रयुक्त की गई है वहां प्रत्यास्थापित भार कबल गड्ढों के लिए ही उदग्रहित किया जाएगा।"

(ग) उप-नियम (3) में "रकम" शब्द के स्थान पर "अनुसूची के भाग-II में विनिर्दिष्ट रकम से अधिक" शब्द रखे जाएंगे।

(घ) उप-नियम (4) में,-

(i) "फीस" शब्द के पश्चात् "और प्रतिकर" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा।

(ii) "नियम 5" शब्द और अंक के पश्चात् "उप-नियम (1ख)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों को अंतःस्थापित जाएगा।

7. उक्त नियम के नियम 9 के उप-नियम (3) के परंतुक में "दस हजार रूपए" शब्दों के स्थान पर "अनुसूची के भाग-I में विनिर्दिष्ट रकम" शब्द रखे जाएंगे।

8. उक्त नियम के नियम 10 में,-

(क) उप-नियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(1क) भूमि के ऊपर तार अवसंरचना (मोबाइल टावर) की स्थापना हेतु प्रस्तावित क्षेत्र मोबाइल टावर और सहायक अवसंरचना जैसे कि भूमि के ऊपर ट्रांसीवर स्टेशन, ईजन अल्टरनेटर आदि के द्वारा घेरा गया क्षेत्र होगा।";

(ख) उप-नियम (2) में परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु छोटे मेल और तारयंत्र लाइन की संस्थापना के लिए खंभों की स्थापना हेतु अचल सम्पत्ति के लिए मंदय प्रतिकर अनुसूची के भाग-III में विनिर्दिष्ट रकम से अधिक नहीं होगा।"

(ग) उप-नियम (3) के खण्ड (क) में "की मंदाय, जो विनिर्दिष्ट किया जाए भी है लेकिन इन तक सीमित न रहते हुए, अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए" शब्दों के स्थान पर "या उपनियम (2) में यथा विनिर्दिष्ट

प्राधिकार प्रत्यक्षी के अन्तर्गत प्रत्यक्षीकरण के अन्तर्गत आये हैं किन्तु इन तक सीमित रहकर इस क विभागों को अन्य विभागों

के अन्तर्गत प्रत्यक्षीकरण के अन्तर्गत आये हैं किन्तु इन तक सीमित रहकर इस क विभागों को अन्य विभागों

के अन्तर्गत प्रत्यक्षीकरण के अन्तर्गत आये हैं किन्तु इन तक सीमित रहकर इस क विभागों को अन्य विभागों

के अन्तर्गत प्रत्यक्षीकरण के अन्तर्गत आये हैं किन्तु इन तक सीमित रहकर इस क विभागों को अन्य विभागों

के अन्तर्गत प्रत्यक्षीकरण के अन्तर्गत आये हैं किन्तु इन तक सीमित रहकर इस क विभागों को अन्य विभागों

के अन्तर्गत प्रत्यक्षीकरण के अन्तर्गत आये हैं किन्तु इन तक सीमित रहकर इस क विभागों को अन्य विभागों

- 2) उप-अध्याय (1) के अधीन आवेदन का आवेदन का ज्ञान क विना प्रशासनिक व्यवस्था को बहल करने से बचना होगा या समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाये जो कि अनुसूची के भाग- 5 में विनिर्दिष्ट रकम से अधिक तक मात्र प्रस्तुत करना होगा।
- 3) समुचित प्राधिकारी आवेदन करने का कारण के साथ दिनों में अनोधन की अवधि के भीतर कारण को लखवद्ध करने हुए आवेदन को अनुज्ञा प्रदान करेगा या विविध रूप में कारणों के साथ विस्तृत करेगा

परन्तु कोई भी आवेदन अस्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदन को ऐसी अस्वीकृति के कारणों के संबंध में सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है।

परन्तु यह और कि यदि समुचित प्राधिकारी अनुज्ञा देने का आवेदन को अस्वीकार करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा ही अनुमति प्रदान करेगा।

- 4) समुचित प्राधिकारी छोटे मशीन और उपकरण प्राप्त की संस्थापना के लिए मांग फर्तीकर के उपयोग हेतु समुचित प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित अनुसूची के भाग-5 में विनिर्दिष्ट रकम से अधिक की अनुज्ञाप्रधानी से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का हकदार होगा।
- 5) समुचित केन्द्रीय प्राधिकारी प्राप्त तकनीकी तथा प्रकल्पनाओं पर छोटे मशीन की संस्थापित करने की अनुज्ञा प्रदान करे।
- 6) उप-अध्याय (5) के प्रयोजनों के लिए समुचित केन्द्रीय प्राधिकारी को ऐसी केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा नियमित या स्थापित प्राधिकारी नियुक्त करनी या संस्था अभिषेक है जब ऐसी संपत्ति के लिये, ऊपर, माध्यम द्वारा और अर्थ या बाह्य जिसे मुद्रियता या प्रति के लिये ऐसी सरकार प्राधिकारी तिकाय कंपनी या संस्था के नियंत्रण या प्रबंधन के अधीन या में विविध तरह अवसर बना की स्थापित या अनुमति किया जाता है।

नियम

क्रम

भाग-11

5(3)

9(3)

10क(2)

भाग-11 प्रत्यास्थापित भार

6(2) (क)

मार्ग फर्नीचर का उपयोग करते हुए छोटे सेलों और तारयंत्र लाइन की स्थापना के लिए

मार्ग फर्नीचर का उपयोग करते हुए छोटे सेलों और तारयंत्र लाइन की स्थापना के लिए

ऐसी भूमिगत तार अवसरचना की स्थापना जहां अनुजमिधारी द्वारा क्षति को प्रत्यावर्तित करने की जिम्मेदारी का निर्वहन करने की वचनबद्धता नहीं दी गई है।

- (i) मसुचित केन्द्रीय प्राधिकारी के निर्देश पर अचल संपत्ति पर
- (ii) भूमि के ऊपर तारयंत्र लाइन की स्थापना के लिए एक हजार रुपए प्रति किलोमीटर।
- (iii) मसुचित केन्द्रीय प्राधिकारी में निहित या के नियंत्रण या प्रबंधन के अधीन अचल संपत्ति पर छोटे सेलों और तारयंत्र लाइन की स्थापना हेतु खंभे की स्थापना के लिए शून्य।
- (iv) मसुचित केन्द्रीय प्राधिकारी में इतर मसुचित प्राधिकारी में निहित या के नियंत्रण या प्रबंधन के अधीन अचल संपत्ति पर छोटे सेलों और तारयंत्र लाइन की स्थापना हेतु खंभे की स्थापना के लिए एक हजार रुपए प्रति खंभा

शून्य।

अचल संपत्ति को प्रत्यावर्तित करने हेतु उस क्षेत्र के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित या उस क्षेत्र के लिए यदि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा दर तय नहीं की गई हो तो उस क्षेत्र के लिए राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा अपेक्षित राशि।

6(3)

अधिसूचना सं. 1070 (अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे और मा.का.नि. 407 (अ) तारीख 21 अप्रैल, 2017 और मा.का.नि. 749 (अ) तारीख 21 अक्टूबर, 2021 द्वारा पश्चावर्ती रूप से संशोधित किए गए थे।

10(3) (ग)

अधिसूचना सं. 1070 (अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे और मा.का.नि. 407 (अ) तारीख 21 अप्रैल, 2017 और मा.का.नि. 749 (अ) तारीख 21 अक्टूबर, 2021 द्वारा पश्चावर्ती रूप से संशोधित किए गए थे।

भाग-III प्रतिकर

10(1)

प्रत्येक वर्ष के लिए प्रतिकर का अनुमानित योग्य अंक

10(2)

प्रतिकर का अनुमानित योग्य अंक

10(4)

(i) प्रत्येक वर्ष के लिए प्रतिकर का अनुमानित योग्य अंक

(ii) प्रतिकर का अनुमानित योग्य अंक

[फा. सं. 2-10/2022-नीति]

आनन्द सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-III, खण्ड-3, उप-खण्ड (i) में तारीख 15 नवंबर, 2016 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1070 (अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे और मा.का.नि. 407 (अ) तारीख 21 अप्रैल, 2017 और मा.का.नि. 749 (अ) तारीख 21 अक्टूबर, 2021 द्वारा पश्चावर्ती रूप से संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th August, 2022

G.S.R. 635(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (c) of sub-section (2) of section 7 read with sections 10, 12 and 15 of the Indian Telegraph Act, 1885(13 of 1885), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Telegraph Right of Way Rules, 2016, namely: -

1. (1) These rules may be called the Indian Telegraph Right of Way (Amendment) Rules, 2022
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Indian Telegraph Right of Way Rules, 2016 (hereinafter referred to as the said rules), in the opening paragraph, the brackets and words "(optical fibre)" and "(mobile towers and telegraph line)" shall be omitted.

the area occupied by the overground telegraph infrastructure (mobile tower) proposed to be established shall be the area occupied by the mobile tower and the supporting infrastructures such as base transceiver station, engine alternator, etc. at the ground”;

(b) in sub-rule (2), for the proviso,-

“Provided that the compensation payable for the immovable property for the establishment of poles for installation of small cells and telegraph line shall not exceed the amount specified in Part-III of the Schedule”;

(c) in sub-rule (3), in clause (a), for the words “or compensation, subject to the provisions of the Act and these rules”, the words “not exceeding the amount specified in Part-II of the Schedule, or compensation, as specified in sub-rule (2)” shall be substituted;

(d) in sub-rule (4), -

(i) after the word “fee”, the words “and compensation,” shall be inserted

(ii) after the word and figure “rule 5”, the words, brackets and figure “sub-rule (1B)” shall be inserted.

7. In rule 9 of the said rules, in sub-rule (3), in the proviso, for the words “ten thousand rupees”, the words “the amount specified in Part-I of the Schedule” shall be substituted.

8. In rule 10 of the said rules,-

(a) after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(1A) The area of the overground telegraph infrastructure (mobile tower) proposed to be established shall be the area occupied by the mobile tower and the supporting infrastructures such as base transceiver station, engine alternator, etc. at the ground”;

(b) in sub-rule (2), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely: -

“Provided that the compensation payable for the immovable property for the establishment of poles for installation of small cells and telegraph line shall not exceed the amount specified in Part-III of the Schedule”;

(c) in sub-rule (3), in clause (a), for the words “or compensation, subject to the provisions of the Act and these rules”, the words “not exceeding the amount specified in Part-II of the Schedule, or compensation, as specified in sub-rule (2)” shall be substituted;

(d) in sub-rule (4), -

(i) after the word “fee”, the words “and compensation,” shall be inserted

(ii) after the word and figure “rule 9”, the words, brackets and figure “sub-rule (2)” shall be inserted.

(iii) after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely: -

“(4A) The area of the overground telegraph infrastructure (mobile tower) proposed to be established shall be the area occupied by the mobile tower and the supporting infrastructures such as base transceiver station, engine alternator, etc. at the ground”;

(iv) after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely: -

10A. The appropriate authority shall be entitled to receive such compensation from the licensee for the establishment of telegraph infrastructure over any private property, the licensee shall not require any permission from the appropriate authority.

10B. Establishment of telegraph infrastructure over private property. Where the licensee proposes the establishment of over-ground telegraph infrastructure over any private property, the licensee shall not require any permission from the appropriate authority.

Provided that in case of establishment of mobile tower or pole over a private building or structure, the licensee shall submit an intimation in writing to the appropriate authority prior to commencement of such establishment.

Provided further that along with the intimation, he shall also submit the details of the building or structure, where the establishment of mobile tower or pole is proposed, and a copy of certification by a structural engineer, authorised by the appropriate authority, attesting to the structural safety of the building or structure, where the mobile tower or pole is proposed to be established.

10. After the Act is notified, the Government may, by order, amend the Act, subject to the following conditions:

"THE SCHEDULE"

[See rules 5 (3), 6 (1B), 6 (2) (a), 6 (3), 9 (3), 10 (2), 10 (3) (a), 10A (2), 10A (4)]

Rule	Item	Amount
(1)	(2)	(3)
Part-I Fee.		
5(3)	For establishment of underground telegraph infrastructure	One thousand rupees per kilometer

Part-III Compensation

601B)	Establishment of underground telegraph infrastructure	Nil
10C)	Establishment of poles for installation of small cells and telegraph line	Nil
10A (4)	Usage of street furniture for installation of small cells and telegraph line	(i) For installation of small cells: Three hundred rupees per annum for urban area and one hundred and fifty rupees per annum for rural areas per street furniture (ii) For installation of telegraph line: <u>One hundred rupees per annum per street furniture</u>

[F No. 2-10-2022-Policy]

ANAND SINGH, Jr. Secy

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (1) vide notification number G.S.R. 1070 (E), dated the 15th November, 2016 and subsequently amended vide G.S.R. 407 (E), dated the 21st April, 2017 and G.S.R. 749 (F), dated the 21st October, 2021.

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II, खण्ड 3—उप-खण्ड (1)
PART II, Section 3—Sub-section (1)
द्वितीय भाग में प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 561।

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 18, 2022/श्रावण 27, 1944

No. 561।

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 18, 2022/SHRAVANA 27, 1944

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2022

सा.का.नि. 635(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम 1885 (1885 का 13) की धारा 10, 12 और 15 के साथ पठित धारा 7 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खण्ड (ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय तार मार्ग के अधिकार (संशोधन) नियम, 2022 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के प्रारम्भिक पैरा में कोष्ठकों और शब्दों "(ऑप्टिकल फाइबर)" और "(मोबाइल टावर और तारयंत्र लाइन)" का लोप किया जाएगा।
- उक्त नियमों के नियम 2 के उप-नियम (1) के खण्ड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ज) "अनुसूची" से इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है।"

- उक्त नियमों के नियम 4 के उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा अर्थात्:-

दस्तावेज़ित

अवसंरचना

उप-नियम (2) के अन्तर्गत

अनुसूची के भाग-II में

निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

क) समूचित प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

(ख) उप-नियम (2) के अन्तर्गत

(i) "जो विनिर्दिष्ट किया जाए" भी है लेकिन इन तक सीमित न रहते हुए, अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के अध्याधीन" शब्दों के स्थान पर "जो है लेकिन इन तक सीमित न रहते हुए, अनुसूची के भाग-II में विनिर्दिष्ट रकम से अनधिक" शब्द रखे जाएंगे।

(ii) निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु जहां भूमिगत तारयंत्र लाइन की स्थापना के लिए श्रेष्ठ दिशात्मक खुदाई प्रयुक्त की गई है वहां प्रायास्थापित भार केवल गड़ों के लिए ही उद्घाटित किया जाएगा।"

(ग) उप-नियम (3) में "रकम" शब्द के स्थान पर "अनुसूची के भाग-II में विनिर्दिष्ट रकम से अनधिक" शब्द रखे जाएंगे।

(घ) उप-नियम (4) में,-

(i) "फीस" शब्द के पश्चात् "और प्रतिकर" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा।

(ii) "नियम 5" शब्द और अंक के पश्चात् "उप-नियम (1ख)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों को अंतःस्थापित जाएगा।

7. उक्त नियम के नियम 9 के उप-नियम (3) के परंतुक में "दस हजार रूपए" शब्दों के स्थान पर "अनुसूची के भाग-II में विनिर्दिष्ट रकम" शब्द रखे जाएंगे।

8. उक्त नियम के नियम 10 में,-

(क) उप-नियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(1क) भूमि के ऊपर तार अवसंरचना (मोबाइल टावर) की स्थापना हेतु प्रस्तावित क्षेत्र मोबाइल टावर और सहायक अवसंरचना जैसे कि भूमि के ऊपर ट्रांसीवर स्टेशन, ईजन अल्टरनेटर आदि के द्वारा घेरा गया क्षेत्र होगा।"

(ख) उप-नियम (2) में परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु छोटे मेल और तारयंत्र लाइन की संस्थापना के लिए खंभों की स्थापना हेतु अचल सम्पत्ति के लिए मंदाय प्रतिकर अनुसूची के भाग-III में विनिर्दिष्ट रकम से अधिक नहीं होगा।"

(ग) उप-नियम (3) के खण्ड (क) में "की मंदाय, जो विनिर्दिष्ट किया जाए, भी है लेकिन इन तक सीमित न रहते हुए, अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए" शब्दों के स्थान पर "या उपनियम (2) में यथा विनिर्दिष्ट

नियम

क्रम

भाग-1 प्रीस

5(3)

5(3)

10क (2)

6(2) (क)

मार्ग फर्नीचर का उपयोग करते हुए छोटे सेलों और तारयंत्र लाइन की स्थापना के लिए

मार्ग फर्नीचर का उपयोग करते हुए छोटे सेलों और तारयंत्र लाइन की स्थापना के लिए

ऐसी भूमिगत तार अवसरचना की स्थापना जहां अनुजमिधारी द्वारा क्षति को प्रत्यावर्तित करने की जिम्मेदारी का निर्वहन करने की वचनबद्धता नहीं दी गई है।

- (i) मसुचित केन्द्रीय प्राधिकारी में निहित या के नियंत्रण या प्रबंधन के अधीन अचल संपत्ति पर छोटे सेलों और तारयंत्र लाइन की स्थापना हेतु खंभे की स्थापना के लिए शून्य।
- (ii) भूमि के ऊपर तारयंत्र लाइन की स्थापना के लिए एक हजार रुपये प्रति किलोमीटर।
- (iii) मसुचित केन्द्रीय प्राधिकारी में निहित या के नियंत्रण या प्रबंधन के अधीन अचल संपत्ति पर छोटे सेलों और तारयंत्र लाइन की स्थापना हेतु खंभे की स्थापना के लिए शून्य।
- (iv) मसुचित केन्द्रीय प्राधिकारी में इतर मसुचित प्राधिकारी में निहित या के नियंत्रण या प्रबंधन के अधीन अचल संपत्ति पर छोटे सेलों और तारयंत्र लाइन की स्थापना हेतु खंभे की स्थापना के लिए एक हजार रुपये प्रति खंभा।

शून्य।

अचल संपत्ति को प्रत्यावर्तित करने हेतु उस क्षेत्र के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित या उस क्षेत्र के लिए यदि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा दर तय नहीं की गई हो तो उस क्षेत्र के लिए राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा अपेक्षित राशि।

भाग-11 प्रत्यास्थापित भार

(b) in sub-rule (2) after the word "and", the words "and compensation, subject to the provisions of the Act and these rules" shall be substituted;

(c) in sub-rule (3) after the word "and",

the words "and compensation, subject to the provisions of the Act and these rules" shall be substituted;

(d) in the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that where horizontal directional digging technology is used for establishing underground telegraph lines restoration charges shall be levied for pits only."

(e) in sub-rule (3) after the words "an amount" the words "not exceeding the amount specified in Part-II of the Schedule" shall be inserted.

(d) in sub-rule (4) -

(i) after the word "fee", the words "and compensation," shall be inserted

(ii) after the word and figure "rule 5", the words, brackets and figure "sub-rule (1B)" shall be inserted.

7. In rule 9 of the said rules, in sub-rule (3), in the proviso, for the words "ten thousand rupees", the words "the amount specified in Part-I of the Schedule" shall be substituted.

8. In rule 10 of the said rules,-

(a) after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(1A) The area of the overground telegraph infrastructure (mobile tower) proposed to be established shall be the area occupied by the mobile tower and the supporting infrastructures such as base transceiver station, engine alternator, etc. at the ground."

(b) in sub-rule (2), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

"Provided that the compensation payable for the immovable property for the establishment of poles for installation of small cells and telegraph line shall not exceed the amount specified in Part-III of the Schedule."

(c) in sub-rule (3), in clause (a), for the words "or compensation, subject to the provisions of the Act and these rules", the words "not exceeding the amount specified in Part-II of the Schedule, or compensation, as specified in sub-rule (2)" shall be substituted;

(d) in sub-rule (4) -

(i) after the word "fee", the words "and compensation," shall be inserted

(ii) after the word and figure "rule 9", the words, brackets and figure "sub-rule (2)" shall be inserted

(c) after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

10. The appropriate authority shall be entitled to receive such compensation from the licensee as may be determined by the appropriate authority in accordance with the provisions of the rules made in this behalf.

10A. Where the licensee proposes to establish or maintain telegraph infrastructure over any property, the licensee shall not require any permission from the appropriate authority.

10B. Establishment of telegraph infrastructure over private property. Where the licensee proposes the establishment of overground telegraph infrastructure over any private property, the licensee shall not require any permission from the appropriate authority.

Provided that in case of establishment of mobile tower or pole on a private building or structure, the licensee shall submit an intimation in writing to the appropriate authority prior to commencement of such establishment.

Provided further that along with the intimation, he shall also submit the details of the building or structure, where the establishment of mobile tower or pole is proposed, and a copy of certification by a structural engineer authorised by the appropriate authority, attesting to the structural safety of the building or structure, where the mobile tower or pole is proposed to be established.

10. Appendix 4 of the schedule shall be read with the schedule.

"THE SCHEDULE"

[See rules 5 (3), 6 (1B), 6 (2) (a), 6 (3), 9 (3), 10 (2), 10 (3) (a), 10A (2), 10A (4)]


Rule	Item	Amount
(1)	(2)	(3)
Part-I Fee.		
5(3)	For establishment of underground telegraph infrastructure	One thousand rupees per kilometer

After detailed discussion and deliberation the committee opined to issue circular/ order, consisting of the safety procedures, standards for laying of OPG clearance as per CWA guidelines, shall provide proper earthing, obtaining inspectorate approval, indemnifying /Immune, BESCOM from litigation & untoward incidents.

The meeting was concluded with following directions from committee to:

- Collect rental charges with applicable GST:
 - a. For installation of small cells: Three hundred rupees per annum for urban area and one hundred and fifty rupees per annum for rural areas per pole.
 - b. For installation of telegraph line in both rural & urban: one hundred and fifty rupees per annum per pole.
- Chief General Manager (Operations), BESCOM to issue necessary order/ Circular as opined by the committee in co-ordination with General Manager (QS&S).
- General Manager (QS&S) to co-ordinate with Chief General Manager (Operations), BESCOM by providing the safety guidelines /procedures to be included in the order.

Approved by Managing Director, BESCOM


General Manager (Ele),
(DAS & SG), BESCOM 01/25

The details of the charges collected by BESCOM from R.U.L. for laying OFC on electric poles is tabulated below

11/8/23

DOMICILIATION expenses of the employees on technical aspects have to be considered and different rates has to be fixed for district headquarters and other than district headquarters

In this regard, Director, Finance, BESCOM informed that in the Department of Telecommunication (DOT) gazette of India notification order dated 18.08.2022 usage of street furniture for installation of small cells and telegraph line is mentioned

The appropriate authority shall be entitled to receive compensation from the licensee not exceeding the amount specified in part-II of schedule, for use of street furniture for installation of small cells and telegraph line, as may be determined by the appropriate authority

BESCOM Poles refer to the street furniture and BESCOM refers to the appropriate authority. Hence, the rates mentioned in "The Schedule" part- III Compensation 10A (4) are applicable

The Schedule details are as below

Rate	Item	Amount
10A (4)	Usage of street furniture for installation of small cells and telegraph line	i) For installation of small cells Three hundred rupees per annum for urban area and one hundred and fifty rupees per annum for rural areas per street furniture ii) For installation of telegraph line one hundred rupees per annum per street furniture

W.G. W
09/10/23

Sl. No.	Particulars	Rate per meter	No. of meters	Amount in Rupees	
				LT	HT
1	IE Rules 1956			2.44	
2	Central Electricity Authority G.O. Order Issued			2.44	
4	Madhya Pradesh Electricity Board, Indore	5.8	3.1	1.2	
5	Genl. DISCOM'S		3.05	1.2	8
			3.05	1.2	
7	Chie. Elect. Insp. Inspector Deliver the meter		1	1.2	2.44

Further, it has come to the knowledge of Corporate Office that different amounts have been demanded & collected at divisions for laying OPG/other Telecommunication cables in ITRM & T Files of BESCOM.

K.M.W.
07/10/23



BANGALORE ELECTRICITY SUPPLY COMPANY LIMITED

Wholly Owned by Government of Karnataka

Dr. ...
B...

...

The General Manger DAS & SG informed that Reliance Jio Infocomm Ltd. Bangalore has approached Energy Dept. GOK vide their letter No. R.Jio/OPC/RoW/FTTX/GOK dated 31.05.2019 for providing permission to lay OFC on Electrical poles in terms of IT 5-RT Ministry guidelines of Bharat Net. In response Energy Dept. GOK has issued approval for laying OFC on the Electric Poles of State DISCOMs in 95 towns excluding Bangalore City vide File No. ENERGY/1137VSC/2019/FMC-ENERGY SECRETARIAT Dated 14.10.2019 by adopting safety measures while working on Infocomm fibre optic lines in close proximity to the power lines which is utmost importance in the interest of personnel & public subject to following conditions and strict adherence to the regulations under Measures related to safety and Electricity Supply 2010 of Central Electricity Authority.

- By maintaining minimum clearance of 4.5 meters between the fibre optic lines and power lines.
- Employing personnel who are trained and certified for safety measures for maintaining power lines.
- There should be proper coordination between the DISCOMs of the State and the external agencies.
- ...

Handwritten signature and date 09/07